राजीव लोक अदालत मेजा करछना

18.6.18 पत्रावली पेश हुयी। वादीगण की ओर से रामरतन तथा प्रतिवादीगण की ओर से श्री राजेन्द्र व विष्णु उपस्थित है। उभय पक्षों को सुना गया। वादीगण ने बतलाया कि वादग्रस्त आराजी रकबा $\frac{3111}{0-83}$, $\frac{3112}{1-11}$ कुल किता 2 कुल रकबा 1.94 हे० वाके ग्राम

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उनियारा जिला टोंक
राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र ग्राम पंचायत बनेठा
(डिकी मुकदमा इब्तदाई)

उनवान

1.रामरतन पुत्र नन्दा जाति माली निवासी बनेठा तहसील उनियारा जिला टोंक
2.कालू पुत्र नन्दा जाति माली निवासी बनेठा तहसील उनियारा जिला टोंक
3.कैलाशी पुत्री नन्दा जाति माली निवासी बनेठा तहसील उनियारा जिला टोंक
4.हीरालाल पुत्र भेरू जाति माली निवासी बनेठा तहसील उनियारा जिला टोंक

– वादीगण

बनाम

1.राजेन्द्र पुत्र केदारनारायण जाति बाहम्ण निवासी बनेठा तहसील उनियारा जिला टोंक
2.विमला पुत्री केदारनारायण जाति बाहम्ण निवासी बनेठा तहसील उनियारा जिला टोंक
3.सत्यनारायण पुत्र चन्द्रमोहन जाति बाहम्ण निवासी बनेठा तहसील उनियारा जिला टोंक
4.विष्णु पुत्र चन्द्रमोहन जाति बाहम्ण निवासी बनेठा तहसील उनियारा जिला टोंक
5.मुजू पुत्री चन्द्रमोहन जाति बाहम्ण निवासी बनेठा तहसील उनियारा जिला टोंक
6.कान्ता पत्नी चन्द्रमोहन जाति बाहम्ण निवासी बनेठा तहसील उनियारा जिला टोंक
7.लड्डू पुत्र नन्दा जाति माली निवासी बनेठा तहसील उनियारा जिला टोंक
8.तहसीलदार तहसील उनियारा जिला टोंक राज0

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत उद्घोषणा, दु0 इन्द्राज व स्थायी निषेधाज्ञा

मुकदमा नम्बर :– 43 वर्ष 2017

वादीगण की ओर से श्री रामरतन वादी व प्रतिवादीगण की ओर राजेन्द्र व विष्णु प्रतिवादी की उपस्थिति मे इस वाद मे आज तारीख 18.6.2018 को श्री कैलाश चन्द गुर्जर, आर0ए0एस0 उपखण्ड अधिकारी उनियारा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश किया जाता है और डिकी दी जाती है कि तहसीलदार उनियारा को आदेशित किया जाता है कि वे आराजी ख0न0 3111 रकबा 0.83 , ख0न0 3112 रकबा 1.11 कुल किता 2 कुल रकबा 1.94 है0 वाके ग्राम बनेठा तहसील उनियारा मे दर्ज राहिन जगदीश पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति ब्राहम्ण को राजस्व रिकार्ड से हटाकर राजस्व रेकार्ड को दुरूस्त करे। फरीकेन खर्चा अपना अपना वहन करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 18 माह 06 सन् 2018 को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
उनियारा जिला टोंक
उप खण्ड अधिकारी
उनियारा

D:\Files\Rajsw\Faisla 1.docx193

Scanned by CamScanner

FORM III

फर्द अहकाम

(नियम 20)

न्यायालय अधिकारी उनियारा (टोंक)

राजस्थान बनाम राजेन्द्र वगैरह

किस्म मुकदमा.........दीवानी...............नम्बर 63 सन्...2017

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
	बनेठा तहसील उनियारा के राजस्व रेकार्ड में राहिन जगदीश पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति ब्राह्मण का अंकन गलत रूप से दर्ज किया हुआ है। रहन में रुपयों रख के ही अदा कर दी गई थी। अतः उक्त आराजी में दर्ज राहिन जगदीश पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति ब्राह्मण का अंकन हटाया जाकर राजस्व रेकार्ड को दुरुस्त किया जावे। आहूत प्रतिवादीगण ने कथन किया कि उक्त आराजी में दर्ज "राहिन जगदीश पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति ब्राह्मण" का अंकन राजस्व रेकार्ड से हटाये जाने में हमें कोई आपत्ति नहीं है। पत्रावली एवं उक्त पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। अभिभाषकों द्वारा बताये गये तर्कों पर मनन किया गया। नकल जमाबंदी संवत 2070-2074 ग्राम बनेठा आराजी खसरा नं. 3111/0-83, 3112/1-11 कुल कित्ता 2 कुल रकबा 1-94 है० वादीगण व प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी में दर्ज है तथा सम्पूर्ण आराजी "राहिन जगदीश पुत्र लक्ष्मीनारायण ब्राह्मण"	

उप खण्ड अधिकारी
उनियारा

Scanned by CamScanner

के नाम दर्ज है। शामिल मौका रिपोर्ट की जानकारी करने पर यह ज्ञात होता है कि प्रतिवादीगण 1 ता 6 ~~[illegible]~~ जगदीश पुत्र लक्ष्मीनारायण के वारिसान है। प्रतिवादीगण 1 ता 6 ने इकबाली जवाब दावा पेश कर वादीगण के दावे को स्वीकार करते हुए कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की है।

रविन्द्र ओम प्रकाश बनाम आर.आर.डी. 2018 की नजीर के मद्देनजर रखते हुए उपरोक्त विवेचन के वादीगण का दावा स्वीकार किया जाना न्यायोचित उचित समझता हूँ। अतः दावा वादक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाता है। तहसीलदार उनियारा को आदेशित किया जाता है कि वे आराजी खसरा नं. 3111 रकबा 0.83, खसरा 3112 रकबा 1.11 कुल किता 2 कुल रकबा 1.94 है० वाके ग्राम बनेठा तहसील उनियारा से दर्ज "शाहीन जगदीश पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति ब्राह्मण" को राजस्व रिकार्ड से हटाकर राजस्व रिकार्ड को दुरुस्त करे। पर्चा डिक्री जारी हो। पक्षकारान खर्चा उभयपक्ष वहन करेंगे। पत्रावली फैसलशुदा होकर नियम से काम हो तर्क दफ्तर दाखिल हो।

(हस्ताक्षर)

उप खण्ड अधिकारी
उनियारा